रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-127 REGISTERED NO D (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 62] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 10, 1989/चैत्र 20, 1911
[No. 62] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 10, 1989/CHAITRA 20, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 1989

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 5-ईटीसी(पीएन)/89

विषय :—सैफ्लावर सीड (कर्डी बीज) का निर्यात।

फा.सं. 38(3)/89/ई-2.—उपर्युक्त विषय पर 10 अप्रैल, 1989 के निर्यात नियंत्रण संशोधन आदेश सं. ई (सी) ओ, 1988/ए. एम. (21) की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. यह निर्णय लिया गया है कि सैफलावर सीड (कर्डी बीज) के निर्यात की अनुमति एक सीमित सीलिंग के अन्तर्गत दी जाए।

3. तदनुसार, आयात-निर्यात नीति 1988—91 (खण्ड-2) में परिशिष्ट-2 की क्रम संख्या 4(6) की प्रविष्टि को हटा दिया जाए और परिशिष्ट-4 की सूची-1 की क्रम संख्या 21 के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि को जोड़ा जाएगा :—

"22-सैफलावर सीड (कर्डी बीज)।"

4. यह भी निर्णय लिया गया है कि आयात-निर्यात नीति 1988—91 (खण्ड-2) के खण्ड-1 के पैरा 12(3) की शर्तों के अनुसार सैफलावर सीड (कर्डी बीज) के निर्यात के लिए निम्नलिखित विशेष प्रक्रिया अपनाई जाए।

5. यह निर्णय लिया गया है कि सैफलावर सीड (कर्डी बीज) के निर्यात के लिए सीलिंग भारतीय तेल अत्पाद निर्यातक संघ, बम्बई (आई.ओ.पी.ई!ए.) को निपटान के लिए दी जाए। निर्यात की अनुमति पक्की संविदाओं के मद्दे पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर दी जाएगी।

6. आई ओ पी ई ए निर्यातकों को सीलिंग स्लिप जारी करेगा जिसमें निर्यातक का नाम, आवेश की संख्या तथा तारीख, अनुमित मात्रा, जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य तथा गन्तव्य स्थान आदि का पूरा ब्यौरा दिया जाएगा उसके बाद निर्यातक संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी से मिलेगा और उसके समक्ष सीलिंग स्लिप प्रस्तुत करेगा। निर्यात लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय निर्यातकों को जहाज पर्यन्त भाड़ा मूल्य के 1% के बराबर की बैंक गारंटी के भी लाइसेंसिंग प्राधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी जिसे 31 मार्च, 1990 तक निर्यात न करने की स्थिति में जब्त कर लिया जाएगा और इस जब्त राशि को सरकारी लेखे में जमा कर दिया जाएगा।

7. निर्यातक द्वारा सीलिंग स्लिप और 1% के बराबर की बैंक गारंटी भी प्रस्तुत करने पर पत्तन लाइसेंसिंग प्राधिकारी संबंधित निर्यातक को निर्यात लाइसेंस जारी करेंगे। लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा जारी निर्यात लाइसेंस जारी करने की तारीख से 6 माह या 31 मार्च, 1990 तक इसमें से जो भी पहले हो, उस तक वैध रहेगा।

8. भारतीय तेल उत्पाद निर्यातक संघ सीलिंग के खत्म होते ही सीलिंग स्लिप जारी करना बन्द कर देगा। संघ 31 मार्च 1990 के बाद सीलिंग स्लिप जारी नहीं करेगा भले ही पूरी सीलिंग का उपयोग न किया गया हो।

9. सीमाशुल्क प्राधिकारी पत्तन लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा जारी निर्यात लाइसेंस के आधार पर निर्यात की अनुमति देंगे।

तेजेन्द्र खन्ना, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 10th April, 1989

EXPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 5-ETC (PN) /89

Subject :—Export of Safflower Seed (Kardi Seed).

F. No. 38 (3) /89/E-II.—Attention is invited to the Exports Control Amendment Order No. E (C) O, 1988/AM (21) dated the 10th April, 1989, on the above subject.

2. It has been decided that export of Safflower Seed (Kardi Seed) will be allowed within a limited ceiling.

3. Accordingly, the entry at Serial Number 4 (vi) of Appendix-2 will be deleted and the following entry will be added after Serial Number 21 of List I of Appendix-4, in the Import and Export Policy 1988-91 (Vol. II) :—

"22—Safflower Seed (Kardi Seed)".

4. It has also been decided to devise the following special procedure for export of Safflower Seed (Kardi Seed) in terms of para 12 (3) of Section I of Import and Export Policy 1988-91 (Vol. II).

5. The ceiling for export of Safflower Seed (Kardi Seed) will be placed at the disposal of Indian Oil & Produce Exporters Association, Bombay, (IOPEA). Export will be allowed on the basis of first-come, first-served basis against the firm contract.

6. IOPEA would issue a ceiling slip to the exporter indicating the full particulars such as name of the exporter, number and date of order, quantity allowed, FOB Value and destination etc. The exporters then shall approach the concerned licensing authority and submit the ceiling slip. Exporters while applying for export licence would also submit a Bank Guarantee equivalent to 1 per cent of the FOB Value to the licensing authority which would be forfeited in case exports do not take place by 31st March, 1990. The amount so forfeited shall be credited to the Government account.

7. On presentation of ceiling slip and also on furnishing the Bank Guarantee equivalent to 1 per cent of the FOB Value by the exporters, Port Licensing Authority will issue export licence to the concerned exporter. Export Licences issued by the licensing authorities will have a validity period of six months from the date of issue or till 31st March, 1990, whichever is earlier.

8. IOPEA would stop issuing ceiling slip as and when the ceiling is exhausted. IOPEA will also not issue any ceiling slip after 31st March, 1990, even if the quantity of ceiling is left unutilised.

9 Export will be allowed by the Customs authorities on the basis of export licence issued by the port licensing authority.

TEJENDRA KHANNA, Chief Controller of Imports & Exports

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989